

Most Urgent

GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE CHIEF ENGINEER ZONE-I
IRRIGATION & FLOOD CONTROL DEPARTMENT
(ESTABLISHMENT BRANCH)
4TH FLOOR, I.S.B.T. BUILDING, KASHMERE GATE
DELHI-110006, PH: 011-23862901

No.47 (2)/2009-Estt/CE(I&FC)/ 21449

Dated : 21/11/12

To

The SE (FC-III)/ Nodal Officer (IT)
I&FC Department,
Govt. Of NCT of Delhi,
Delhi.


Sub; **Copy of Delhi Gazette for uploading on Web Site**

Sir,

I am to forward herewith a copy of recently issued Gazette Notification dated 06.09.2012 regarding framing of Recruitment Rules for the post of Surveyor (Copy Enclosed). You are requested to upload the same on the official Web-site of this department.

Yours faithfully,

Encls: **As above.**


(CHANDRA BHANU)
OFFICE SUPERINTENDENT



दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]
No. 152]

दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 6, 2012/भाद्र 15, 1934
DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 6, 2012/BHADRA 15, 1934

[रा.रा.क्षे.दि. सं. 137
| N.C.T.D. No. 137

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

सं. 21(14)/2012/एलएस-IV/एलईजी/7639.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण
की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

विधेयक संख्या (14) 2012

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012

(जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 6 सितम्बर,
2012 को पुरःस्थापित किया गया)

पी. एन. मिश्रा, सचिव

दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 का संशोधन करने के लिये

एक

विधेयक

यह भारतीय गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी की विधानसभा द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाए :-

1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ - (1) इस अधिनियम को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2012 कहा जा सकेगा ।

(2) यह दिल्ली राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होगा ।

2. धारा 22 का संशोधन - दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (2009 का दिल्ली अधिनियम 6) इसके बाद 'मूल अधिनियम' के रूप में सन्दर्भित, की धारा 22 की उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

“(2) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे:-

(क) सभापति, कुलाधिपति द्वारा नामांकित किए जाने वाला प्रसिद्ध शिक्षाविद् या कोई प्रसिद्ध अभियन्ता/शिल्प विज्ञानी (टेक्नोलॉजिस्ट) या प्रसिद्ध उद्योगपति होगा ।

(ख) विश्वविद्यालय का कुलपति ।

(ग) सरकार द्वारा नामांकित विज्ञान, अभियांत्रिकी, प्रौद्योगिकी तथा प्रबन्धन विषयों के तीन प्रसिद्ध व्यक्ति ।

(घ) सरकार द्वारा नामांकित विश्वविद्यालय के दो प्राध्यापक ।

(ङ) सरकार नामांकित विश्वविद्यालय के दो संकायाध्यक्ष ।

(च) सरकार द्वारा नामांकित किसी उद्योग एसोसिएशन का कोई प्रतिनिधि ।

(छ) प्रधान सचिव या सचिव (वित्त), दिल्ली सरकार - पदेन ;

(ज) प्रधान सचिव या सचिव (उच्च शिक्षा) दिल्ली सरकार - पदेन ;

(झ) प्रधान सचिव या सचिव (तकनीकी शिक्षा), दिल्ली सरकार - पदेन ;

(ञ) परिनियमों द्वारा यथा निर्धारित ऐसा / ऐसे अन्य सदस्य या सदस्य”

3. नई धारा 53 का सन्निवेशन - मूल अधिनियम की धारा 52 के पश्चात् निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्

“53 कुलाधिपति, स्वतः या प्रबन्धमण्डल की संस्तुति के आधार पर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध, वित्तीय या शैक्षिक प्रणाली के हित में तथा विशेषतः विश्वविद्यालय की शान्ति एवं सुखशान्ति सुनिश्चित करने हेतु तथा विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की रक्षा करने के लिये यथावश्यक या समयोचित ऐसे निदेश जारी कर सकते हैं।”

उद्देश्यों और कारणों का विवरण

दिल्ली विधानसभा ने 2009 के दिल्ली अधिनियम 6 के माध्यम से दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज का दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित करते हुए इसे अध्ययन तथा शिक्षण की विभिन्न विधाओं में अध्यापन एवं शोध केन्द्र उद्देश्य से गैर संबद्ध शिक्षण तथा शोध विश्वविद्यालय के रूप में निगमित किया। दिल्ली सरकार के अन्य अधिनियमों की तर्ज पर दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम इस संस्थान को व्यापक स्वायत्तता प्रदान करने के साथ-साथ सरकार की भूमिका को कम करता है। इसकी भावना यह है कि विश्वविद्यालयों/संस्थानों को अपने मामलों के प्रबंध की दिशा में पूर्ण स्वायत्तता दी जाए। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम के अधिकतर प्रावधान दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम या गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुरूप बनाए गए हैं। जब दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम तथा गुरु गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय अधिनियम में विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों में दयनित तथा मनोनीत सदस्यों के प्रतिनिधित्व के लिए पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और अनियन्त्रित कार्यों तथा निरंकुश शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने हेतु अनेक रोकथाम के उपाय किए गए हैं। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम इन विषयों पर मौन है तथा ऐसी स्थिति में समस्त शक्तियां कुलपति के स्तर पर केन्द्रित हो गई हैं और उसे विश्वविद्यालय के विस्तृत प्रतिनिधित्व वाले प्राधिकरणों के प्रति जवाबदेह भी नहीं बनाया गया है। कुलपति को अकादमिक काउंसिल का अध्यक्ष बनाने के अलावा वित्त समिति और योजना बोर्ड का अध्यक्ष भी बनाया गया है।

इसके अतिरिक्त दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज को दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठन के समय से ही इस व्यवस्था के विरुद्ध विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों से लगातार विरोध प्राप्त हो रहा है। विद्यार्थियों ने एक माह लम्बा आन्दोलन किया और मिड समिस्टर परीक्षाओं का

सामूहिक बहिष्कार, विरोध मार्च किया और दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के कुलपति को हटाने या उसे वापिस दिल्ली विश्वविद्यालय के अकादमिक नियंत्रण में लागने या इसे आई.आई.टी. अथवा एन. आई.टी बनाने की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज अध्यापक संघ ने इस आशंका से कि दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप इसकी लम्बे समय में प्राप्त ख्याति को नुकसान होगा और नए संस्थान में इसके कर्मचारियों के हितों का ध्यान नहीं रखा जाएगा उन्होंने यह भी मांग की है कि दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का प्रशासनिक/प्रबंधन पद्धति आई.आई.टी. के अनुसार होनी चाहिए जिसमें अध्यापक/विद्यार्थी/अन्य कर्मचारियों के चुने हुए प्रतिनिधि तथा भूतपूर्व विद्यार्थी उद्योगों तथा प्रसिद्ध नागरिकों का विश्वविद्यालय के प्रबंधन में प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रतीत होता है कि यद्यपि दिल्ली सरकार ने संस्थान को स्वायत्तता तो प्रदान कर दी है परन्तु संस्थान के स्तर पर इसे महसूस नहीं किया गया है। दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज जिसे हाल ही में विश्वविद्यालय के रूप में पुनर्गठित किया गया है। शत-प्रतिशत सरकार द्वारा पोषित है और पुनर्गठन के संक्रमण काल से गुजर रहा है। अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है कि इसके कार्यों में सरकार की प्रभावशाली भूमिका के बिना इसके लक्ष्यों और उद्देश्यों की पूर्ति के प्रति आश्वस्त हुआ जा सके।

इस समय दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में कुछ संशोधनों की आवश्यकता प्रतीत हो रही है जो प्रमुख संस्थानों, विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के अनुसार है। प्रस्तावित संशोधनों से दिल्ली इंजीनियरिंग कॉलेज के पुनर्गठन के लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता मिलने तथा संस्थान के प्रकायों में बेहतर लोकतांत्रिक, पारदर्शी तथा सक्रिय रूप में भाग लेने में सहायता मिलेगी।

यह विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

(डॉ० ए०के० वालिया)

प्रभारी मंत्री

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में अध्यक्ष के एक अंशकालिक पद के सृजन पर विचार करता है। ऐसे पद के भत्तों की राशि विश्वविद्यालय के बजट संसाधनों से उपलब्ध कराई जाएगी। इस प्रयोजन के लिये केन्द्रीय सरकार से किसी प्रकार के अतिरिक्त वित्तीय अनुदान की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 3 दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में एक नयी धारा 53 सन्निविष्ट कराना प्रस्तावित करता है जो विश्वविद्यालय के प्रशासन, वित्तीय या शैक्षिक पदाधिकारियों के हित में विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने के लिये कुलाधिपति को सशक्त करता है जो एक सामान्य स्वरूप का है।

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT**NOTIFICATION**

Delhi, the 6th September, 2012

No. 21(14)/2012/LAS-IV/Leg./7639.—The following is published for general information :—

Bill No. 14 of 2012

THE DELHI TECHNOLOGICAL UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL, 2012

(As introduced in the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi
on 6th September, 2012)

Dr. A. K. WALIA, Minister-in-charge

P. N. MISHRA, Secy.

3337.DG/12-2

A

BILL

to amend the Delhi Technological University Act, 2009

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-third Year of Republic of India as follows:-

1. Short title and commencement – (1) This Act may be called the Delhi Technological University (Amendment) Bill, 2012.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Delhi Gazette.

2. Amendment in section 22 – in the Delhi Technological University Act, 2009 (Delhi Act 6 of 2009), hereinafter referred to as the “principal Act”, subsection (2) of Section 22, the following shall be substituted, namely :-

“(2) The Board of Management shall consist of the following persons:-

- (a) Chairperson shall be eminent educationist or an eminent scientist or eminent engineer / technologist or eminent industrialist to be nominated by the Chancellor.
- (b) The Vice Chancellor of the University.
- (c) Three eminent persons in the disciplines of science, engineering, technology and management, nominated by the Government
- (d) Two Professors of the University nominated by the Government.
- (e) Two Deans of the University nominated by the Government
- (f) A representative of an Industry Association, nominated by the Government
- (g) Principal Secretary or Secretary (Finance) to the Government ex-officio;
- (h) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) to the Government ex-officio;
- (i) Principal Secretary or Secretary (Technical Education) to the Government ex-officio;
- (j) Such other member or members as may be prescribed by the Statutes.”

3. Insertion of new section 53 -- In the principal Act, after the Section 52, the following section shall be added, namely -

“53. The Chancellor may either suo moto or on the recommendation of the Board of Management may issue such directions as may be necessary or expedient in the interest of administration, financial or academic functioning of the University and in particular to ensure peace and tranquillity in the University and to protect the property of the University.”

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi through the Delhi Act 6 of 2009, reconstituted the Delhi College of Engineering as a Delhi Technological University and incorporated it as a non-affiliating, teaching and research Universities at Delhi to enable it to function more efficiently as a teaching and research center in various branches of learning and course of study. The Delhi Technological University Act in line with other Acts of Delhi Government gives immense autonomy to the institutions and the role of the Government is minimal. The intention was to give full autonomy to the Universities / Institutions to manage their own affairs. Most of the provisions of Delhi Technological University Act have been replicated from either Delhi University Act or from G. G. S. Indraprastha University Act. Whereas, the Delhi University Act and GGSIPU Act have provisions for due representations of elected and nominated members in the Authorities of the universities, and provides numerous safeguards to check against unbridled exercise and arbitrary powers, the DTU Act is totally silent on these matters, and under such circumstances all the powers have been concentrated at the level of Vice Chancellor; without making him accountable to an extensively represented Authorities of the University. The Vice Chancellor has been appointed as Chairman of not only the Academic council but also of the Finance Committee and the Planning Board.


Moreover, since the reconstitution of Delhi College of Engineering to Delhi Technological University, there has been constant resistant / opposition from students as well as employees against this restructuring. The students were on month long agitation, which included mass boycott of mid-semester examination, protest march, and mainly demanded that with the removal of Vice-Chancellor, Delhi College of Engineering may either be brought back under the academic control of Delhi University or be converted into IIT or NIT.

The Delhi College of Engineering Teachers Association, with a fear that the restructured Delhi College of Engineering may lose its brand name, which it has earned over a long period of time, and the authorities of the restructured institution may not safeguard the interest of its employees, has also demanded that the administrative / management pattern of the DTU needs to be on the pattern of IITs and more elected representatives of the teachers / students / other employees, Alumni, industry representatives and eminent citizens to be given representations in the management of the University.

In view of the above situation, it seems that though, Delhi Government has given autonomy to the institution; this has not been reciprocated at the institution level. The Delhi College of Engineering, which has recently been reconstituted as university, is 100% funded by the Government and is in its transitional period of its reconstitution as university. The stage has not reached yet so that Government get assured about the achieving of the goals and objectives by the university without the effective role of the Government in its operations.

A need has been felt to make some amendments in the Delhi Technological University Act, 2009, which are in line with the best practices being followed by premier institutes / universities. The proposed amendments are likely to go a long way in accomplishment of the objectives of reconstituted Delhi College of Engineering, and helping a more democratic, transparent and participative operation of the institution.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.



(DR. A.K. WALIA)

MINISTER-IN-CHARGE

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the Bill contemplates creation of one part time post of Chairman in the Board of Management of the University. The amount of the allowances for such post will be met out from the budgetary resources of the University. No additional financial grant would be required from the Central Government for this proposal.

MEMORANDUM REGARDING DELGATED LEGISLATION

Clause 3 of the Bill proposed to insert a new section 53 in the Delhi Technological University Act, 2009 which empower the Chancellor to issue directions to the University in the interest of administration , financial or academic functionary of the University. which is of a normal character.

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग

[कार्यालय प्रधान सचिव (सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण)]

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2012

फा. सं. 47(2)/2009-स्था./सीई (सिं. एवं बाढ़ नियं.)/16838-45.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. 27/59-एचआईएम(आई) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत सर्वेक्षक के पद पर नियुक्ति के लिये भर्ती पद्धति और आवश्यक योग्यताओं के संबंध में यहां संलग्न अनुसूची में भर्ती नियम बनाते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मोहम्मद अ आबिद, अतिरिक्त सचिव (सिं. एवं बाढ़ नियं.)

3337 DG/12-3

सर्वेक्षक के पद के लिये भर्ती नियम

1. (क) पद का नाम : सर्वेक्षक
 (ख) मंत्रालय/विभाग का नाम : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग
2. संदर्भ संख्या जिसमें आयोग का परामर्श अथवा भर्ती नियम सम्प्रेक्षित किये गये थे : कार्मिक एवं जनशिकायत मंत्रालय, भारत सरकार तथा पेंशन विभाग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण कार्यालय ज्ञापन सं० एबी१४०१७/६१/२००८-स्थापना (आरआर) दिनांक २४.३.२००९
3. मूल नियमों तथा उत्तरवर्ती संशोधनों की अधिसूचना की तिथि (मूल नियमों एवं उत्तरवर्ती संशोधनों की प्रति संलग्न होनी चाहिए।) : सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की पूनर्संरचना के अनुसरण में नये भर्ती नियमों को बनाना

अनुसूची

का० सं०	मापदंड	भर्ती नियम के प्रावधान
1.	पदनाम	: सर्वेक्षक
2.	पदों की संख्या	: ०४*(चार) (२००८) *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है
3.	वर्गीकरण	: सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	(क) पे बैंड (ख) ग्रेड पे	: पीबी-१ (५२००-२०२००/-रुपये) ग्रेड पे १९००/-रुपये
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद	: लागू नहीं
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	: १८-२७ वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये शिथिलनीय) नोट:-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की

		लद्दाख सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा जिले की पांगी सब डिवीजन व अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	<p>अनिवार्य</p> <p>(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक्यूलेशन गणित और विज्ञान सहित अथवा इसके समकक्ष</p> <p>(ii) सर्वेक्षक के ट्रेड में आईटीआई से डिप्लोमा / प्रमाण पत्र अथवा</p> <p>श्रम एवं रोजगार विभाग, भारत सरकार, श्रम रोजगार एवं पूनर्वास मंत्रालय की राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण पत्र (एनटीसी)/एनएसी राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रमाण पत्र की स्कीम के अन्तर्गत प्रदान किये जाने वाले सर्वेक्षक के ट्रेड में डिप्लोमा / प्रमाण पत्र।</p> <p>(iii) उसे समस्त मशीन पद्धति इत्यादि सहित डिजिटल सर्वेक्षण टेप, चैन, कम्पास, उपकरण के उपयोग सहित भू-सर्वेक्षण पद्धति से अवगत होना चाहिए तथा सड़क, पाइप लाइनों तथा इसी तरह अन्य सिविल परियोजनाओं के संबंध में परिरिखा सर्वेक्षण की भी क्षमता होनी चाहिए।</p>
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	दो वर्ष
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	वर्ग 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण पर विचारार्थ)
13.	वे परिस्थितियों जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	लागू नहीं

IRRIGATION AND FLOOD CONTROL DEPARTMENT
[OFFICE OF THE PRINCIPAL SECRETARY (I AND FC)]
NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2012

F. No. 47(2)/2009-Estt./CE (I & FC)/16838-45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs notification No. F. 27(59)/Him(i) dated 13-7-1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, is pleased to frame the Recruitment Rules in the Schedule hereto annexed, regarding the method of recruitment and qualifications necessary for appointment to the post of Surveyor under the Irrigation and Flood Control Department, Government of National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi.

MOHAMMED A ABID, Addl. Secy. (I & FC)

ANNEXURE - I

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF SURVEYOR

1. a) Name of the post. : **SURVEYOR**
b) Name of the Ministry / Deptt. : Govt. of NCT of Delhi, Irrigation & Flood Control Department
2. Reference No. in which : Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel & Training Office Memorandum No. AB.14017/61/ 2008-Estt. (RR), dated 24.03.2009.
Commission's advice or recruitment rules was conveyed.
3. Date of notification of the original : Framing of fresh Recruitment Rules in accordance with Restructuring of Irrigation & Flood Control Department, Govt. of NCT of Delhi.
rules and subsequent amendments (copy of the original rules & subsequent amendments should be enclosed).

SCHEDULE

Col. No.	Parameters	Provisions of Recruitment Rules.
1.	Name of the post.	SURVEYOR
2.	No. of posts.	04* (Four) (2008) *Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.
4.	a) Pay Band b) Grade Pay	PB-I (Rs.5200-20200/-) Grade Pay Rs.1900/-
5.	Whether Selection Post or Non-Selection Post.	Not applicable

5.	Age Limit for direct recruits.	<p>Between 18 to 27 years.</p> <p>(Relaxable for Government Servant up to 05 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)</p> <p>Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahul & Spiti districts and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands of Lakshadweep.</p>
7.	Educational and Other qualifications required for Direct Recruit.	<p>Essential:</p> <p>(i) Matriculation or its equivalent with Mathematics and Science from a recognized Board.</p> <p>(ii) Diploma/Certificate from ITI in the trade of Surveyor, OR</p> <p>Diploma/Certificate in the trade of Surveyor awarded under the Scheme of National Trade Certificate (NTC)/National Apprenticeship Certificate (NAC) of Ministry of Labour, Employment and Rehabilitation, Department of Labour and Employment, Government of India.</p> <p>(iii) Should be familiar with land surveying method with the use of tapes, chains, compass, instrument, Digital Survey with Total Machine Method etc. and should be able to do contour surveying in connection with roads, pipelines and for other similar civil projects.</p>
8.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Not applicable.
9.	Period of probation, if any.	02 years
10.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods.	By Direct Recruitment

11-27

11.	In case of recruitment by promotion/ deputation /absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	Not applicable.
12.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition?	Group-"C" DPC (for considering confirmation)
13.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.	Not applicable.